सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 08/2016

बउनवान

श्री अरूण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, क्षेत्र कोटा जोन, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–कोटा **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री रामस्वरूप गेरा पुत्र श्री लालचंद जी, निवासी SBI बैंक के सामने कोटा रोड़, बारां। मेसर्स ओम साई डिपार्टमेन्टल स्टोर SBI बैंक के सामने कोटा रोड़, बारां। (विक्रेता एवं मालिक)
2. मेसर्स पंकज जैन पुत्र श्री प्रेमचंद जैन, निवासी– अपोजिट पीली कोठी, हॉस्पिटल रोड़ , बारां। मेसर्स अनिल किराना स्टोर, सदर बाजार, बारां (विक्रेता, मालिक एवं बिलिंगकर्ता)
3. श्री कैलाश चेतवानी पुत्र श्री परसराम चेतवानी निवासी–2 घ 2 विज्ञान नगर, कोटा (राज.)। मेसर्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर, जे–234 रोड़ नं. 5 आई पी आई ए कोटा (विक्रेता, मालिक एवं बिलिंगकर्ता)
4. श्री लालजी वर्मा पुत्र श्री रामअचल वर्मा निवासी– नाथी पट्टी फरीदपुर काला, अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश। मेसर्स जीडी फूड MFG (I) PVT.LTD प्लॉट नं. 14, बी ब्लॉक, कम्यूनिटी सेन्टर, जनकपुरी, साउथ वेस्ट (देहली) 110058 (नोमिनी)
5. मेसर्स जीडी फूड MFG (I) PVT.LTD प्लॉट नं. 14, बी ब्लॉक, कम्यूनिटी सेन्टर, जनकपुरी, साउथ वेस्ट (देहली) 110058

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी की ओर से)
2– श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट (अप्रार्थी क्रम 1, 3 ता 5)

निर्णय दिनांक 11.04.2018

आवेदक द्वारा प्रकरण इस आशय का पेश किया कि दिनांक 07.06.2015 को समय 03.00 पी.एम. पर **मेसर्स ओमसाई डिर्पाटमेन्टल स्टोर, SBI बैंक के सामने कोटा रोड़, बारां** पर पहुंचा। वहां पर **श्री रामस्वरूप गेरा पुत्र श्री लालचन्द जी** विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे कि उपस्थिति में निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **प्लेन नूडल्स (टोप टेस्ट)** के 800 ग्राम वजन के 16 पेकेट एक लकड़ी के रेक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। जिसमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर खाद्य वस्तु **प्लेन नूडल्स (टोप टेस्ट)** के 800 ग्राम के 4 पेकेट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 232/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य वस्तु **प्लेन नूडल्स (टोप टेस्ट) 800–800** ग्राम के 4 मूल पोलीपेक को 4 अलग–अलग प्लास्टिक के बॉक्स में 1–1 की संख्या में डालकर एअरटाईट पेक करके निर्धारित लेबल प्रत्येक भाग पर चिपकाये और प्रत्येक पर लेबल तैयार कर चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। आवेदक ने फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़ा, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये। फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर जर्ये श्री रामकिशन पांचाल वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा द्वारा श्रीमान् खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ एवं अभिहित अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, परिक्षेत्र कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी. ओ. एवं उप निदेशक कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि. एवं स्वा. सेवायें, कोटा के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/213 दि. 08.09.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक एलएस/1641/एक्ट/2015/1007 दि. 19.08.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य वस्तु प्रोपराइट्री **प्लेन नूडल्स (टोप टेस्ट) मिथ्याछाप (Mis Branded) , एवं अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

डी.ओ. एवं उप निदेशक कार्या. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, परिक्षेत्र कोटा के पत्रांक एफएसएसए/2015/213 दिनांक 08.09.2015 द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता को धारा 46(4) के अन्तर्गत सूचित किया कि अगर खाद्य कारोबारकर्ता उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो आवेदन प्रारूप 8 के जरिये पुनः जांच हेतु अपील कर सकता है। परंतु खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा उक्त अवधि में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। अतः प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 2 स्वंय ने जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रोडक्ट नूडल्स टोप टेस्ट मेसर्स जी. डी. फूड MFG (I) PVT.LTD देहली द्वारा निर्मित एवं Packed कम्पनी के सुपर स्टॉकिस्ट मेसर्स ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स कोटा से बिल संख्या बी 00579 दिनांक 04.04.2015 एवं बिल संख्या बी 01397 दिनांक 11.04.2015 द्वारा खरीद कर विक्रय किया गया है। अप्रार्थी कम 1, 3 ता 5 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि फर्द निरीक्षण मौका के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि जिस सील से मौके पर नमूना सील करना बताया है उसका कोई इम्प्रेशन फर्द मौका पर नहीं है। जांच रिपोर्ट तारीखी 19.08.2015 में जांच के तरीके का कोई वर्णन नहीं है और ना ही खाद्य विश्लेषक द्वारा कोई आधार नमूने के सब स्टेण्डर्ड मिसब्राण्ड होने बाबत जांच में दर्ज किया है। जांच रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि 16.07. 2015 से 23.07.2015 तक तथाकथित नमूना जांच किया गया है परन्तु उसके कोई दस्तावेज अभियोगी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और ना ही सेम्पल प्राप्ति से 14 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जांच की जाने वाली लेबोरेट्री भी सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य वस्तु **प्लेन नूडल्स (टोप टेस्ट)** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded) , एवं अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51–52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि फर्द मौका पर नमूना सील करने वाली सील का कोई इम्प्रेशन नहीं है, जांच रिपोर्ट भी निर्धारित समयावधि 14 दिन के अंदर की नहीं है। आवेदक एवं जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रकिया एवं नियमों की पालना नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही निराधार होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य वस्तु **प्लेन नूडल्स (टोप टेस्ट)** जांच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded) , एवं अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51–52 के तहत, अप्रार्थी कम 1 को 5000/– अप्रार्थी कम 2 को 5000/– अप्रार्थी कम 3 को 5000/– एवं अप्रार्थी कम 4 व 5 को कुल 25000/– महायोग 40000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज०)

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)